.... बनाम .... ऑनलाईन नं. ....

न .... मुकदमा नं. ....

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
23/7/25	पत्रावली पेश हो तलबी पक्षकारान उप० हो अप्रार्थीगण 1 ता 3 व 5 की तलबी Reg Ad मौके पूर्व में पेश हो चुकी है बावजूद सूचना अप्रार्थीगण 1 ता 3 व 5 अनु० हो अतः अप्रार्थीगण 1 ता 3 व 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है मिसल वास्ते बहस में पत्रा० दिनांक 5/8/25 को पेश हो [signature]	
19/8/2025	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्ता प्रार्थी उप० / पत्रावली मे जवाब सरकार आदिनांक लम्बित था / जवाब सरकार बंद किया जाता है / समस्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है / बहस प्रार्थी सुनी गई / प्रार्थी के अधिवक्ता ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे होना बताया / प्रार्थी को अप्रार्थी की पुत्री तथा एकमात्र विधिक वारिस होना बताया / अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत सम्पत्ति मे पुत्री के अधिकार निहित होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है / उक्त प्रकरण सहदायिकी सम्पत्ति मे सहदायिकी अधिकारो से संबंधित प्रतीत होता है / जिसमे अधिकारो तथा स्वामित्व की घोषणा summary trial से नही किया जाकर पूर्ण विचारण के पश्चात ही निर्धारित किया जाना संभव है जो कि साक्ष्य-सबूत लेखबद्ध उपरांत तथा दस्तावेजी अभिलेखों से साबित किया जा सकेगा / अतः राजस्व अभिलेख	

नवान .... बनाम ....
ा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के अवलोकन तथा प्रार्थी के अभिवचनों से मजबूत प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। पत्रावली तथा राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विवादित आराजी के कुछ हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को किया जा चुका है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने की स्थिति में विवादित आराजी के नयन, बेचान, रहन, दान इत्यादि से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावनाऐं प्रबल है। विवादित आराजी के खुर्द-बुर्द करने से कालान्तर में न्यायालय के निर्णय के प्रार्थी के पक्ष मे होने पर भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकेगा तथा उस क्षति की मौद्रिक भरपाई संभव नहीं होगी तथा न्याय की संकल्पना प्रतिकूलतः प्रभावित होगा। अतः प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को हुई क्षति की मात्रा अप्रार्थी को हुई क्षति से अधिक होने की संभावना के चलते Judicial विवेकाधीकार सुविधा संतुलन को प्रार्थी के पक्ष मे समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री कीया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी वाके ग्राम रोण पटवार हल्का राहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ख.नं. 15 रकबा 0.07 है, ख.नं. 21 रकबा 0.17 है, ख.न. 3 रकबा 0.15 है, ख.नं. 39 रकबा 0.22 है, ख.नं. 40 रकबा 0.20 है ख.सं. 8 रकबा 0.06 है, ख.नं. 97 रकबा

नवान ....

.... मुकदमा .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	1.76 है कुल किता 7 रकबा 2.63 है पर अप्रार्थीगण रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के फैसल तक प्रभावी रहे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा (राज.)	